न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

0न0 – 86/2024

नवान : –

1. नरेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन शेरड़ा तहसील भादरा।

:–प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :–श्री रतनसिंह धारीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़ — सत्यमेव जयते)

निर्णय दिनांकः 10.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता ख्या 61/519 के खसरा संख्या 107 की 1.2640 है0, खसरा संख्या 116 की 0.4420), खसरा संख्या 400 की 7.3350 है0 खसरा संख्या 463 की 0.3030 है0 कुल खसरा 4 1 9.3440 है0 बारानी में प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल 1/6 संयुक्त खाते में दर्ज कॉर्ड है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल दर्ज है जो क सही नहीं हैं जबकि प्रार्थी संख्या का सही नाम नरेन्द्र पुत्र देवीलाल है जिसे सही कये जाने का निवेदन है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव न्य दस्तावेजों में प्रार्थी संख्या का सही नाम नरेन्द्र पुत्र देवीलाल दर्ज है। इस प्रकार ार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही कार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त ाम की शुद्दि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन लब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना नवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि ोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 61/519 के खसरा संख्या 107 की 1.2640 है0, ख़सरा संख्या 116 की 0.4420 है0, खसरा संख्या 400 की 7.3350 है0 खसरा संख्या 463 की 0.3030 है0 कुल खसरा 4 की 9.3440 है0 बारानी में प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल 1/6 संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्र पुत्र देवीलाल है जिसे किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी व रिपोर्ट तहसीलदार के स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़))

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:06:03 IST
Reason: Self Attested

CamScanner

नरेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर हसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 1/519 के खसरा संख्या 107 की 1.2640 है0, खसरा संख्या 116 की 0.4420 है0, सरा संख्या 400 की 7.3350 है0 खसरा संख्या 463 की 0.3030 है0 कुल खसरा 4 की 3440 है0 बारानी में प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल 1/6 संयुक्त खातेदार के रूप में र्ज है जिसमें **प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र वीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे** एवं यदि कृषि भूमि बैंक हन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन या जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा थवा कोई बकाया देय आदि नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल के नाम से हो तो उसके लिए ई नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य पाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं म्मेदार होगें।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner